13

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-16+34/2019-20

श्यामलाल हाँसदा

बनाम्

सुरेन्द्र हाँसदा वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 02/08/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया श्यामलाल हाँसदा, पे0-स्व0 देबड़े हाँसदा, सा0-घुटिया, पो0-लतौना, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने आर0एम0ए0 नं0-16/19-20 एवं आर0एम0 नं0-34/19-20 दो अपील वाद दायर किया है। चूँकि दोनों अपील वाद एक ही वाद में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इसलिए दोनों अपीलवाद को एक साथ संबद्ध किया गया। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0-66/2008-09 (दारोगा हाँसदा वगैरह बनाम् रैयान मौजा-घुटिया) के आदेश दिनांक-26.07.2019 एवं दिनांक-10.08.2019 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0-66/2008-09 के आदेश दिनांक-26.07.19 के द्वारा मौजा-घुटिया के प्रधान नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया गया एवं आदेश दिनांक-10.08.19 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा-घुटिया के रैयतों के राय के आधार पर उत्तरवादी सुरेन्द्र हाँसदा को मौजा-घुटिया का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल पथरगामा अन्तर्गत मौजा-घुटिया प्रधानी मौजा है। जयराम हाँसदा, पे0-मानसिंह हाँसदा मौजा-घुटिया के प्रधान थे। जयराम हाँसदा गत सर्वे सेटलमेंट के समय मौजा के नियुक्त प्रधान थे। पर्चा (रेकॉड ऑफ राईट) तैयारी के समय अपने बिमारी के कारण बंदोवस्त पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। इसलिए प्रधान के रूप में जयराम हाँसदा का नाम

दर्ज नहीं किया गया एवं प्रधानी जमीन का चन्द्ररोजा खास दर्ज किया गया। लेकिन जयराम हाँसदा प्रधानी पद पर कार्य करते रहे। जयराम हाँसदा अपने पिछे तीन पुत्र क्रमशः 1. मानसिंह हाँसदा, 2. देबरा हाँसदा 3. देबु हाँसदा को छोड़कर फौत कर गये। जयराम हाँसदा अपने जीवनकाल तक प्रधानी कार्य करते रहे एवं उनकी मृत्यु के बाद देबरा हाँसदा मौजा का प्रधानी कार्य करने लगे। देबरा हाँसदा की मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा का प्रधानी कार्य करने लगे। लेकिन प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए कभी उन्होंने आवेदन पत्र नहीं दिया। इसी बीच वर्ष 2008–09 में एक दारोगा हाँसदा, पे0–स्व0 गुरू हाँसदा ने मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल किया। जब इसकी जानकारी अपीलकर्त्ता श्यामलाल हाँसदा को हुई तो उन्होंने भी मौजा–घुटिया के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। इसके बाद उत्तरवादी सुरेन्द्र हाँसदा ने भी मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा दिनांक–10.09.13 एवं 18.09.13 को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रक्रिया को सुनवाई के दौरान दारोगा हाँसदा एवं सुरेन्द्र हाँसदा के संबंध में भी अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा प्रतिवेदन माँगे जाने पर पुनः अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत प्रक्रिया चलाने के लिए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक–26.07.19 के द्वारा अपीलकर्त्ता के संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर किये गये दावा को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध में आर0एम0ए0 नं0–16/19–20 दायर किया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा दायर किये अपील आवेदन के आलोक में श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक–08.08.19 को निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा पत्र भी प्राप्त किया गया था। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा के आदेश पर भी विचार नहीं किया गया, जिसके द्वारा

दिनांक–08.08.19 को अभिलेख की माँग की गयी थी। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–10.08.19 को आदेश पारित कर उत्तरवादी को मौजा–घुटिया का प्रधान नियुक्त किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है। उनका आगे कथन है कि मौजा के रैयतों को सही तरीके से नोटिश का तामिला नहीं कराया गया। साथ निर्धारित तिथि को अवैध रूप से रैयतों की उपस्थिति को माना गया। क्योंकि सही आदमी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ था। उपस्थिति को केवल पूरा किया गया था। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अवैध तरीके से उत्तरवादी सुरेन्द्र हाँसदा को मौजा–घुटिया का प्रधान नियुक्त किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक–10.08.19 को रद्द करने एवं अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–66/2008–09 (दारोगा हाँसदा वगैरह बनाम् रैयान मौजा–घुटिया) के आदेश दिनांक--10.08.19 के द्वारा उत्तरवादी सुरेन्द्र हाँसदा, पे0–पटवारी हाँसदा, सा0–घुटिया, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–घुटिया का प्रधान नियुक्त किया गया है। उसी नियुक्ति आदेश दिनांक–10.08.19 के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन दायर किया गया है एवं आरोप लगाया गया है कि कुछ 20 (बीस) रैयतों ने हाजरी फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर किये हैं, अपीलकर्त्ता का यह आरोप बिल्कुल ही निराधार एवं गलत है। क्योंकि मौजा के सभी रैयत अपने–अपने पहचान पत्र के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में उपस्थित हुए एवं एक–एक करके अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना हस्ताक्षर कियें हैं। इसलिए अपीलकर्त्ता द्वारा लगाया गया आरोप गलत एवं मनगढ़त है। उनका आगे कथन है कि मेकफर्सन पर्चा से स्पष्ट है कि मौजा–घुटिया प्रधानी है एवं यह भी स्पष्ट है कि कर्तव्य में चुक होने के कारण जयराम हाँसदा को गत सर्वे सेटलमेंट के पूर्व फसली साल 1319 में प्रधानी पद से हटाया गया था एवं करण हाँसदा को मौजा का प्रधान बनाया गया था। इसलिए अपीलकर्त्ता का संथाल पगरना

काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं है। उनका आगे कथन है कि गत गंजर सर्वे सेटलमेंट के पूर्व करण हाँसदा ने प्रधानी पद से त्याग दिया था, जिसका केश नं0–64/1925 है और मौजा खास हो गया। यही कारण है कि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा–घुटिया के जमाबंदी सं0–1 को चन्द्ररोजा कहकर दर्ज किया गया। क्योंकि गत सर्वे सेटलमेंट के समय मौजा में कोई नियुक्त प्रधान नहीं थे। ऐसी स्थिति में मौजा में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 में दिये गये प्रावधान के अनुसार नियुक्त किया जाना है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने नियमानुसार संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 एवं नियमावली 1950 में अंकित नियमों का पालन करते हुए मौजा के सौलह आना रैयतों को विधिवत तरीके से नोटिश दिया गया। निर्धारित तिथि को मौजा के रैयत उपस्थित हुए। उपस्थित सभी 100 रैयतों ने उत्तरवादी सुरेन्द्र हाँसदा का समर्थन किया। उपस्थित रैयतों में से एक भी रैयतों ने अपीलकर्त्ता श्यामलाल हाँसदा का समर्थन नहीं किया। साथ ही मौजा–घुटिया के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु तीन उम्मिदवार में से एक दारोगा हाँसदा ने भी उत्तरवादी का समर्थन किया। इस प्रकार निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत रैयतों के राय के आधार पर मौजा–घुटिया का प्रधान नियुक्त किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–208/रा0 दिनांक–08.06.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–घुटिया थाना नं0–253 जमाबंदी नं0–01 कुल खतियानी रकवा 24–12–12 धुर चन्द्ररोजा वकास्त मालिक कहकर गत सर्वे खतियान एवं पंजी–2 में दर्ज है। किस्म प्रधानी जोत है। अपीलकर्त्ता मौजा–घुटिया जमाबंदी नं0–24 जमाबंदी रैयत जयराम हाँसदा का पोता है एवं इसी मौजा में निवास करते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–05/2008–09 से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–घुटिया का सुरेन्द्र हाँसदा को प्रधान नियुक्त

किया गया जो मौजा–घुटिया थाना नं0–253 जमाबंदी नं0–10 जमाबंदी रैयत जुलाई हाँसदा के पोता है एवं इसी मौजा में निवास करते हैं। जाँच के क्रम में अपीलकर्त्ता द्वारा प्रदत्त दस्तावेज के अवलोकन से पाया कि अपीलकर्त्ता के पूर्वज मेकफर्सन सर्वे में प्रधान थे। जिसमें जयराम माँझी प्रधान अंकित है। विदित हो कि वर्तमान में गेंजर सर्वे प्रचलन में है। स्थलीय जाँच क्रम में पाया कि प्रधानी जोत के खेसरा संख्या–466 पर अपीलकर्त्ता के पूर्वज का मकान मिट्टी खपरैल का मकान अवस्थित है शेष जमीन खाली है। इनके द्वारा एक दस्तावेज किया गया जिसमें प्रधानी नियुक्ति हेतु दिनांक–17.11. 1924 में बुलाया गया था, इनलोगों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण गेंजर खतियान में चन्द्ररोजा वकारत्त मालिक हो गया जिस कारण से प्रधानी मौजा रहते हुए वहाँ प्रधान बहाल नहीं हो सका।

उपरोक्त तथ्यों, संलग्न कागजात, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–घुटिया थाना नं0–253 जमाबंदी सं0–01 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में चन्द्रोजा वकास्त मालिक कहकर दर्ज है। निम्न न्यायालय के आदेश से यह स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत रैयतों के राय के आधार पर उत्तरवादी सुरेन्द्र हाँसदा को मौजा–घुटिया का प्रधान नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर दावा किया था लेकिन चूँकि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मौजा–घुटिया चन्द्ररोजा वकास्त मालिक कहकर दर्ज है और वर्तमान समय में राजस्व कार्य का निष्पादन गेंजर सर्वे के आधार पर ही किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि गत सर्वे के समय मौजा–घुटिया में कोई प्रधान नहीं थे और अपीलकर्त्ता का उत्तराधिकारी के आधार पर दावा प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए अपीलकर्त्ता का उत्तराधिकारी के आधार पर दावा स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत उत्तरवादी को मौजा–घुटिया थाना नं0–253 का प्रधान नियुक्त किया जाना नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 नं0–66 / 2008–09 में दिनांक–10.08.19 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

02/08/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

02/08/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
4/8/2021

Seen
4.8.21

24/02/22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:58:48 +05:30
Location: 192.168.29.8